वैधानिक अधिकार और सहमति फॉर्म - ☐ श्वास या ☐ खून का साक्ष्य सैंपल

(एक चुनें)

अरेस्टी:____दिनांक:______________________________

अरेस्टी को निम्न की जानकारी दी गई थी (धारा 1-10):

1. आपको ऑपरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ़ अल्कोहल अपराध के तहत गिरफ्तार गिया गया है और आपके पास कुछ अधिकार सुरक्षित हैं।
2. आपको अपने परिवार या दोस्तों से बात करने के लिए अपने खर्चे पर टेलीफोन का उपयोग करने, जमानत पर छूटने के लिए व्यवस्था करने, या किसी वकील की सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। जब तक आप इस फॉर्म पर आपकी स्वीकृति या अस्वीकृति दर्ज नहीं कर ली जाती तब तक ये उपयोग निलंबित किए जा सकते हैं। हालाँकि, आपके आने के एक घंटे के भीतर टेलीफोन के उपयोग की अनुमति मिल जाएगी।
3. आप अपनी पसन्द के किसी चिकित्सक से तुरन्त जाँच करवाने का अधिकार रखते हैं, जो आपके अनुरोध पर और आपके खर्चे पर होगा। आपको इस अधिकार का प्रयोग करने का उचित अवसर दिया जाएगा, लेकिन इस जाँच के पूरी होने तक के लिए टेस्ट प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी।
4. **मैं अनुरोध करता/ती हूँ कि आप ☐ <u>साक्ष्य श्वास टेस्ट</u> / ☐ <u>साक्ष्य ब्लड लेना और टेस्ट (कृपया एक चुनें)</u> की अनुमति प्रदान करें जिससे आपके रक्त में अल्कोहल की मात्रा जाँची जा सके।**

   <u>निम्न धाराएँ आपके मोटर व्हीकल चलाने के अधिकारों से सम्बद्ध हैं:</u>

5. 21 साल से कम उम्र के ड्राईवर: यदि आप इस टेस्ट को नकार देते हैं, तो आपका लाइसेंस या मेसाचुसेट्स में संचालन का अधिकार 3 साल से लेकर उम्र भर की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि आपके रक्त में अल्कोहल की सांद्रता .08 या इससे ज्यादा है, तो आप मेसाचुसेट्स के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको अपराधिक दंडों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके रक्त में अल्कोहल की सांद्रता .02 या इससे ज्यादा है, तो रजिस्ट्री ऑफ़ मोटर व्हीकल आपके ऊपर प्रशासनिक दंड लागू करेगा। यदि आप टेस्ट देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो निलंबन अवधि 30 दिवस की रहेगी, हालाँकि आपको रजिस्ट्री ऑफ़ मोटर व्हीकल्स द्वारा लागू 180 दिवस से लेकर 1 साल तक के <u>अतिरिक्त</u> निलंबन का भी सामना करना पड़ेगा।
6. 21 साल या इससे अधिक उम्र के ड्राईवर: यदि आप इस टेस्ट को नकार देते हैं, तो आपका लाइसेंस या मेसाचुसेट्स में संचालन का अधिकार 180 दिवस से लेकर उम्र भर की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि आपके रक्त में अल्कोहल की सांद्रता .08 या इससे ज्यादा है, तो आप मेसाचुसेट्स के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको अपराधिक दंडों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप टेस्ट देते हैं और आपके रक्त में अल्कोहल की सांद्रता .08 या इससे ज्यादा है, तो निलंबन अवधि 30 दिवस की रहेगी।
7. यदि आप टेस्ट देने का निर्णय लेते हैं, तो आपके पास एक उचित समयावधि में अपने खर्चे से तुलनात्मक ब्लड टेस्ट करवाने का अधिकार रहेगा। तुलनात्मक ब्लड टेस्ट के परिणामों का उपयोग 10 दिवस के भीतर कोर्ट सुनवाई में आपके लाइसेंस को पुनः लागू करने या संचालन अधिकार प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
8. इस साक्ष्य टेस्ट को देने से मना करना या असफल होना इम्प्लाइड कंसेंट लॉ (लागू सहमति नियम) का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप आपके मोटर व्हीकल चलाने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। इस टेस्ट से इंकार करना और किसी अन्य प्रकार के टेस्ट के लिए निवेदन करना कानून के अनुसार असहमति ही मानी जाएगी।
9. इसके अलावा, चाहे आपके पास कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस (CDL) हो या ना हो, जो कोई भी यह जरूरी टेस्ट देने से मना कर देगा, वह 1 साल से लेकर जीवनपर्यंत के लिए कमर्शियल मोटर व्हीकल चलाने के अयोग्य हो जाएगा।
10. यदि आप ऐसा कोई मोटर व्हीकल चला रहे हैं जिसमें ऐसी कोई खतरनाक सामग्री है जिसके लिए घोषणापत्र लगा हुआ होना चाहिए, तो इंकार करने पर CDL की अयोग्यता 3 साल की होगी। यदि संघीय CDL नियमनों या स्टेट लॉ के तहत आप पहले भी कभी अयोग्य ठहराने वाले अपराध के लिए दोषी करार दिए जा चुके हो, तो CDL अयोग्यता जीवनपर्यंत रहेगी।

उपरोक्त सलाहित किए जाने और समझ जाने के बाद, क्या आप ☐ <u>साक्ष्य श्वास टेस्ट</u> / ☐ <u>साक्ष्य ब्लड लेना और टेस्ट (कृपया एक चुनें)</u> के लिए सहमति प्रदान करते हैं कि मैं आपके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की जाँच कर सकता हूँ?

☐ हाँ ☐ नहीं सहमति या असहमति का समय ______________

मैंने यह वैधानिक अधिकार और सहमति फॉर्म पढ़ लिया है समझ लिया है।

अरेस्टी के हस्ताक्षर:____ **दिनांक:** ____________________

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या श्वास टेस्ट लेने वाले के हस्ताक्षर: ____________________**दिनांक:** ____________________

असहमति के गवाह के हस्ताक्षर:____**दिनांक:** ____________________

(ऊपर जिस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं, उससे अलग कोई होना चाहिए)

चिकित्सक का अधिकार: सामान्य नियम, अध्याय 263, धारा 5A: कोई व्यक्ति जिसे पुलिस की हिरासत में या किसी अन्य नजरबंदी वाले स्थान पर रखा जाता है, जिसपर नशीली शराब पीकर मोटर व्हीकल चलाने का आरोप लगाया गया है, उसके पास उसके द्वारा चयनित किसी चिकित्सक से अपने अनुरोध और खर्चे पर तुरन्त जाँच करवाने का अधिकार रहेगा। उस थाने या नजरबंदी स्थान के प्रभारी पुलिस अधिकारी, या उनके पदनामित, को मामला दर्ज होने पर तुरन्त इस अधिकार के बारे में उसे सूचना देनी चाहिए, और इसका उपयोग करने का उचित अवसर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, मामला दर्ज होते ही, तुरन्त इस धारा की एक प्रति दी जानी चाहिए, यदि इसकी कॉपी उस थाने या नजरबंदी के स्थान पर ऐसी किसी दृष्टिगोचर जगह पर लगी हुई नहीं है जहाँ उस व्यक्ति की पहुँच हो।

टेलीफोन करने का अधिकार: सामान्य नियम अध्याय 276, धारा 33A: थाने या दूसरी किसी जगह जहाँ उस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, के प्रभारी पुलिस अधिकारी जिसके पास टेलीफोन है, को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खर्चे पर टेलीफोन काम में लेने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति अपने परिवा व दोस्तों से बात कर सके, या जमानत पर छूटने की व्यवस्था कर सके, या वकील की सेवाएँ प्राप्त कर सके। ऐसे व्यक्ति को थाने या नजरबंदी के स्थान पर लाते ही तुरन्त टेलीफोन काम में लेने के इस अधिकार में बारे में जानकरी दी जानी चाहिए, और इसके एक घंटे के भीतर उसे इसके उपयोग की अनुमति मिल जानी चाहिए।